

प्रेस विज्ञप्तिथाना-रौनापारपाक्सो एक्ट में वांछित 02 आरोपी गिरफ्तार

रौनापार थाना क्षेत्र के वादी की लिखित तहरीर के आधार पर जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 144/2020 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया। दौराने विवेचना पीड़िता/अपह्यता की बाद बरामदगी अभियुक्त/अभियुक्ता 1. पंकज यादव पुत्र बलिराम यादव व 2. गीता देवी पत्नी बलिराम यादव समस्त निवासीगण देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तथा बाद अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट व अवलोकन प्रमाण-पत्र धारा 368/376 भादवि व 3/4 व 16/17 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.10.2020 को थाना क्षेत्र रौनापार में उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा मय फोर्स के त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 144/2020 धारा 363/366/368/376 भादवि व 3/4 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1. पंकज यादव पुत्र बलिराम यादव व 2.गीता देवी पत्नी बलिराम यादव समस्त निवासीगण देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर पर ग्राम देवारा खास राजा समय लगभग 12.05 बजे म0का0 राधिका यादव के द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 144/2020 धारा 363/366/368/376 भादवि व 3/4 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. पंकज यादव पुत्र बलिराम यादव
2. गीता देवी पत्नी बलिराम यादव समस्त निवासीगण देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 सत्य प्रकाश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अरुण यादवथाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. म0का0 राधिका यादवथाना रौनापार जनपद आजमगढ़